उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/6

पं.सं. 34-ई/ 6 सी.पी.सी./ HRA-CCA/ 08 दिनांक 15/9/2008.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Decision of the Government on the recommendations of the Sixth CPC relating to grant of Compensatory (City) Allowance and House Rent Allowance to Railway employees.

रेल मंत्रालय के पत्र सं.E(P&A)II-2008/HRA-10 दिनांक 12/9/2008 (आर.बी.ई.सं.110/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI-6 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न/यथोक्त

(रमन कुमार शर्मा)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू,12 चेम्सफोर्ड रोड,नयी दिल्ली
3. महासचिव;आ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
4. महासचिव;आ0भा0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

(1)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/6
सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एच आर ए-10

आर बी ई सं. 110 /2008
नई दिल्ली, दिनांक 12.9.2008

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(डाक सूची I और II के अनुसार).

विषय: रेल कर्मचारियों को प्रतिपूरक (नगर) भत्ता और मकान किराया भत्ता प्रदान करने के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय.

प्रतिपूरक (नगर) भत्ते (सी सी ए) और मकान किराया भत्ते (एच आर ए) से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, रेलवे बोर्ड के समय-समय पर यथा संशोधित 21.7.1965 के पत्र सं. पी सी-65/एच आर ए-1/3, 16.10.1997 के पत्र सं. पी सी-V/97/1/7/13 और 28.1.2005 के पत्र सं. ई (पी एंड ए) II-2004/एच आर ए-16 के आशोधन में, इन भत्तों की निम्नानुसार प्रयोज्यता को सहर्ष निर्धारित करते हैं.

(i) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता

प्रतिपूरक (नगर) भत्ता समाप्त किया जाता है.

(ii) मकान किराया भत्ता

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, मकान किराया भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से शहरों के पूर्व वर्गीकरण को संशोधित किया गया है अर्थात् ए-1 को "X", 'ए', 'बी-1' एवं 'बी-2' को "Y" और 'सी' एवं अवर्गीकृत को "Z". संशोधित वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए शहर की शहरी बस्तियां की आबादी को ध्यान में रखा गया है. तदनुसार मकान किराया भत्ते की दरें निम्नानुसार होंगी :-

शहरों/नगरों का वर्गीकरण	(मूल वेतन+एन पी ए जहां लागू हो) के प्रतिशत के रूप में मकान किराया भत्ते की दर
X	30%
Y	20%
Z	10%

3. संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" मद का अर्थ निर्धारित वेतन बैंड में आहरित वेतन जमा लागू ग्रेड वेतन है लेकिन इसमें किसी दूसरे प्रकार का वेतन अर्थात् विशेष वेतन, इत्यादि शामिल नहीं है. उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ और ऊपर के वेतनमान में रेल सेवकों के मामले में, मूल वेतन का अर्थ निर्धारित वेतनमान में वेतन है.

4. उन कर्मचारियों के मामले में, जो वेतन के पूर्व संशोधित वेतनमानों को बनाए रखने का विकल्प देते हैं, इन आदेशों के उद्देश्य के लिए वेतन में 1.1.2006 को लागू आदेशानुसार प्रयोज्य पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के अतिरिक्त, गत्यवरोध वेतनवृद्धि(यों), मंहगाई वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ता शामिल होंगे.

(3)

...2...

5. मकान किराया भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से "X", "Y" और "Z" के रूप में वर्गीकृत किए गए शहरों/नगरों की सूची इन आदेशों के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है.

6. निम्नलिखित आदेश नगर निगम क्षेत्र के भीतर तैनात किए गए रेल कर्मचारियों को उच्चतर दर पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूरक (नगर) भत्ता प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विगत में जारी किए गए हैं :-

(i) 22.3.75 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/74/एच आर ए/35 (फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स में दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूरक (नगर) भत्ता).

(ii) 26.5.79 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/79/एच आर ए/4 (गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूरक (नगर) भत्ता).

(iii) 24.6.91 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/89/एच आर ए/41 (नोएडा में दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूरक (नगर) भत्ता).

(iv) 24.9.82 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/82/एच आर ए/19 (नवी मुंबई में मुंबई की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(v) 23.12.87 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/87/एच आर ए/32 (जालंधर कैंट में जालंधर की दरों पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूरक (नगर) भत्ता).

(vi) 5.2.87 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/85/जे सी एम/एन सी/9/एच आर ए/सी सी ए (गुड़गांव में दिल्ली की दरों पर मकान किराया भत्ता/प्रतिपूरक (नगर) भत्ता).

(vii) 8.2.89 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/89/सी सी ए/3 (जामनगर में 'बी-2' श्रेणी की दरों पर प्रतिपूरक (नगर) भत्ता).

(viii) 31.12.86 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/85/जे सी एम/डी सी/7 (नाहे में 'सी' श्रेणी की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(ix) 15.5.92 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/92/एच आर ए/2 (गोवा और संघ शासित क्षेत्र दमन एवं दीव में 'सी' श्रेणी की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(x) 22.11.65 का पत्र सं. ई (एस)65/सी पी सी/ए एल-7 (कुन्नूर में 'सी' श्रेणी की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(xi) 11.10.79 के पत्र सं. पी सी-III/74/जे सी एम 5 और 1.6.81 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/81/एच आर ए/8 (इन आदेशों में उल्लिखित शहरों में प्रतिपूरक (नगर) भत्ता) मंहगाई के आधार पर होगा).

(xii) 19.7.93 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/90/एच आर ए/सी सी ए-18 का पैरा 4 (शिलांग में 'ए', 'बी-1' और 'बी-2' श्रेणी की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(xiii) 17.4.79 का पत्र सं. पी सी-III/77/एन सी/जे सी एम/6 (पहाड़ी स्थानों में 'सी' श्रेणी की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(4)

...3...

(xiv) 18.2.98 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-98/एच आर ए/4 (जम्मू में 'बी-2' श्रेणी की दरों पर मकान किराया भत्ता).

(xv) 4.6.98 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/97/एच आर ए-19 (कोलकाता और चेन्नई का 'ए-1' श्रेणी शहर के रूप में वर्गीकरण).

(xvi) 13.7.2004 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-2004/एच आर ए-4 (गोवा और पोर्ट ब्लेयर में 'बी-1' श्रेणी की दरों पर और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप द्वीपों के ग्रामीण क्षेत्र में 'सी' श्रेणी पर मकान किराया भत्ता).

बहरहाल, (i) 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रेटर मुंबई के यू ए के भीतर नवी मुंबई को शामिल करने से, (ii) नई श्रेणी "Z" के तहत मौजूदा 'सी' श्रेणी शहरों/नगरों और अवर्गीकृत स्थानों को रखने से (iii) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता को समाप्त करने से और (iv) यू ए में शामिल होने के कारण जम्मू, कोलकाता एवं चेन्नै के अपग्रेडेशन के कारण, विशेष वितरण को केवल निम्नलिखित शहरों तक बढ़ाना जाना जारी रखा जाएगा :-

(i) फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव को "X" श्रेणी दर पर.

(ii) जालंधर कैंट, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर को "Y" श्रेणी दर पर.

7. मौजूदा आदेशों के अंतर्गत मकान किराया भत्ता प्रदान करने को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी.

8. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे.

9. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(सुनील भारद्वाज)
उप निदेशक/ई (पी एंड ए)III,
रेलवे बोर्ड.

सं० ई (पीएंडए)-II/2008/एच.आर.ए-10 नई दिल्ली,दि0 12.09.2008

प्रतिलिपि : भारत के अपर उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें),कमरा नं0 222, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

(5)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/6 RBE No. 110/2008.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 12-9-2008.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Prod.Units etc,
(as per mailing lists No.I & II).

Subject: Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to grant of Compensatory (City) Allowance and House Rent Allowance to Railway employees.

+++++

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to Compensatory (City) Allowance (CCA) and House Rent Allowance (HRA), the President is pleased to decide that, in modification of Railway Board's letter No. PC-65/HRA-1/3 dated 21.7.1965 as amended from time to time, letter No. PC-V/97/1/7/13 dated 15.10.1997 and letter No. E(P&A)II-2004/HRA-16 dated 28.1.2005, the admissibility of these allowances shall be as under:-

(i) **COMPENSATORY (CITY) ALLOWANCE:**

The Compensatory (City) Allowance stands **ABOLISHED**.

(ii) **HOUSE RENT ALLOWANCE:**

2. Based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, the earlier classification of cities for the purpose of grant of HRA has been revised viz. A-1 to "X", A, B-1 & B-2 to "Y" and C & Unclassified to "Z". In determining the revised classification, the population of Urban Agglomeration area of the city has been taken into consideration. Accordingly, the rates of House Rent Allowance shall be as under:-

Classification of Cities/Towns	Rate of House Rent Allowance as a percentage of (Basic pay + NPA where applicable)
X	30%
Y	20%
Z	10%

3. The term "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc. In the case of railway servants in the pay scales of HAG+ and above, basic pay means the pay in the prescribed scale.

4. In respect of those employees who opt to retain their pre-revised scales of pay, the pay for the purpose of these orders shall also include, in addition to the basic pay in the applicable pre-revised scales, Stagnation increment(s), Dearness pay and Non-Practising Allowance as per orders in force on 1.1.2006.

....2/-

(6)

- 2 -

5. The list of cities/towns classified as "X","Y" and "Z" for the purpose of grant of House Rent Allowance is enclosed as Annexure to these orders.

6. The following orders have been issued by this Ministry in the past for grant of HRA/CCA at higher rates to the Railway employees posted within the municipal area:-

(i) Letter No. E(P&A)II/74/HRA/35 dated 22.3.75 (HRA/CCA at Delhi rates in Faridabad Complex).

(ii) Letter No. E(P&A)II/79/HRA/4 dated 26.5.79 (HRA/CCA at Delhi rates in Ghaziabad Municipal area).

(iii) Letter No. E(P&A)II/89/HRA/41 dated 24.6.91 (HRA/CCA at Delhi rates in Noida).

(iv) Letter No. E(P&A)II/82/HRA/19 dated 24.9.82 (HRA at Mumbai rates in Navi Mumbai).

(v) Letter No. E(P&A)II/87/HRA/32 dated 23.12.87 (HRA/CCA at Jalandhar rates in Jalandhar Cantt.).

(vi) Letter No. E(P&A)II/85/JCM/NC/9/HRA/CCA dated 5.2.87 (HRA/CCA at Delhi rates in Gurgaon).

(vii) Letter No. E(P&A)II/89/CCA/3 dated 8.2.89 (CCA at 'B-2' class rates in Jamnagar).

(viii) Letter No. E(P&A)II/85/JCM/DC/7 dated 31.12.86 (HRA at 'C' class rates in Mahe).

(ix) Letter No. E(P&A)II/92/HRA/2 dated 15.5.92 (HRA at 'C' class rates in Goa and UT of Daman and Diu).

(x) Letter No. E(S)85/CPC/AL-7 dated 22.11.85 (HRA at 'C' class rates in Coonoor).

(xi) Letter No. PC3/74/JCM 5 dated 11.10.79 and Letter No. E(P&A)II/81/HRA/8 dated 1.6.81 (CCA in cities mentioned in these orders on the basis of costliness).

(xii) Para 4 of Letter No.E(P&A)II/90/HRA/CCA-18 dated 19.7.93 (HRA at 'A', 'B-1' & 'B-2' class rates in Shillong).

(xiii) Letter No. PCIII/77/NC/JCM/6 dated 17.4.79 (HRA at 'C' class rates in hill stations).

(xiv) Letter No. E(P&A)II-98/HRA-4 dated 18.2.98 (HRA at 'B-2' class rates in Jammu).

(xv) Letter No. E(P&A)II-97/HRA-19 dated 4.6.98 (classification of Kolkata and Chennai as 'A-1' class cities).

(xvi) Letter No. E(P&A)II-2004/HRA-4 dated 13.7.2004 (HRA at 'B-1' class rates in Goa and Port Blair and at 'C' class rates in the rural areas of A&N and Lakshadweep Islands).

However due to (i) inclusion of Navi Mumbai within the UA of Greater Mumbai as per 2001 census, (ii) placement of existing 'C' class cities/towns as well as Unclassified places under new category "Z", (iii) abolition of CCA and (iv) upgradation of Jammu, Kolkata & Chennai on account of inclusion of UA, the special dispensation shall continue to be extended only to the following cities:-

(i) Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon at "X" class city rates.

(ii) Jalandhar Cantt., Shillong, Goa & Port Blair at "Y" class city rates.

....3/-

7. All other conditions governing grant of HRA under existing orders shall continue to apply.

8. These order shall be effective from September 1, 2008.

9. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

DA: One

(Sunil Bhardwaj)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 12-9-2008.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

DA: One

for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 12-9-2008.

Copy forwarded to :

(i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Prod Units etc.
(ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.
(iii) Ministry of Finance (Department of Expenditure), North Block, New Delhi-110001 w.r.t. their O.M. No. 2(13) 2008-E.II(B) dated 29.8.2008.

DA: One

(Sunil Bhardwaj)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 12-9-2008.

Copy to:-

(i) The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
(ii) The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
(iii) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary/ Staff side, National Council, 13-C Feroz Shah Road, New Delhi (with 90 spares).
(iv) The Secretary General, FROA (with 5 spares).
(v) The Secretary General, IRPOF (with 5 spares).
(vi) The Secretary General, All India RPF Association (with 5 spares).
(vii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association (with 5 spares).
(viii) The Secretary, RBSS, Group A Officers' Association, Room No.402, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
(ix) The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers' Association (with 5 spares).
(x) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares).
(xi) The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association (with 5 spares).

....4/-

(8) 5

अनुबंध

नगरों/शहरों की सूची जहां के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है.

क्रम सं.	राज्य	"X" के रूप में वर्गीकृत शहर	"Y" के रूप में वर्गीकृत शहर
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (यू ए)	विजयवाड़ा (यू ए), वारांगल (यू ए), विशाखापत्तनम (यू ए), गुंटूर.
2.	असम		गुवाहाटी (यू ए).
3.	बिहार	-	पटना (यू ए).
4.	चंडीगढ़	-	चंडीगढ़.
5.	छत्तीसगढ़	-	दुर्ग-भिलाई नागर (यू ए), रायपुर (यू ए).
6.	दिल्ली	दिल्ली (यू ए)	
7.	गुजरात	-	अहमदाबाद (यू ए), राजकोट (यू ए), जामनगर (यू ए), भावनगर (यू ए), वड़ोदरा (यू ए), सूरत (यू ए).
8.	हरियाणा	-	फरीदाबाद*
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	श्रीनगर (यू ए), जम्मू (यू ए).
10.	झारखंड	-	जमशेदपुर (यू ए), धनबाद (यू ए), रांची (यू ए).
11.	कर्नाटक	बेंगलूरु (यू ए)	बेलगाम (यू ए), हुबली-धारवाड, मंगलोर (यू ए), मैसूर (यू ए).
12.	केरल	-	कोजीकोड (यू ए), कोच्ची (यू ए), तिरूवनंतपुरम (यू ए).
13.	मध्य प्रदेश	-	ग्वालियर (यू ए), इंदौर (यू ए), भोपाल (यू ए), जबलपुर (यू ए).
14.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (यू ए)	अमरावती, नागपुर (यू ए), औरंगाबाद (यू ए), नासिक (यू ए), भीवाडी (यू ए), पुणे (यू ए), सोलापुर, कोल्हापुर (यू ए).
15.	उड़ीसा	-	कटक (यू ए), भुवनेश्वर (यू ए).
16.	पंजाब	-	अमृतसर (यू ए), जालंधर (यू ए), लुधियाना.
17.	पांडिचेरी	-	पांडिचेरी (यू ए).
18.	राजस्थान	-	बीकानेर, जयपुर, जोधपुर (यू ए), कोटा (यू ए).
19.	तमिलनाडु	चेन्नई (यू ए)	सेलम (यू ए), तिरूप्पुर (यू ए), कोयम्बटूर (यू ए), तिरूच्चीरापल्ली (यू ए), मदुरै (यू ए).
20.	उत्तराखंड	-	देहरादून (यू ए).
21.	उत्तर प्रदेश	-	मुरादाबाद, मेरठ (यू ए), गाजियाबाद*, अलीगढ़, बरेली (यू ए), लखनऊ (यू ए), कानपुर (यू ए), इलाहाबाद (यू ए), गोरखपुर, वाराणसी (यू ए).
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यू ए)	आसनसोल (यू ए).

* अधीन क्षेत्र के आधार पर सिर्फ मकान किराया भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से.

नोट: विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अन्य नगरों/शहरों को जो "X" या "Y" के रूप में वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आए हैं, मकान किराया भत्ता के उद्देश्य से "Z" के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

******

(4)

6

Annexure

LIST OF CITIES/TOWNS WHERE HOUSE RENT ALLOWANCE IS ADMISSIBLE TO RAILWAY EMPLOYEES.

S.No.	STATES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	Andhra Pradesh	Hyderabad (UA).	Vijayawada (UA), Warangal(UA), Visakhapatnam (UA), Guntur.
2.	Assam		Guwahati(UA).
3.	Bihar	—	Patna(UA).
4.	Chandigarh	—	Chandigarh.
5.	Chhatisgarh	—	Durg-Bhilai Nagar(UA), Raipur(UA).
6.	Delhi	Delhi (UA)	
7.	Gujarat	—	Ahmedabad (UA), Rajkot(UA), Jamnagar(UA), Bhavnagar(UA), Vadodara (UA), Surat (UA).
8.	Haryana	—	Faridabad*
9.	Jammu & Kashmir	—	Srinagar(UA), Jammu(UA).
10.	Jharkhand	—	Jamshedpur (UA),Dhanbad (UA), Ranchi(UA).
11.	Karnataka	Bengaluru (UA)	Belgaum(UA), Hubli-Dharward, Mangalore(UA), Mysore(UA).
12.	Kerala	—	Kozhikode(UA), Kochi (UA), Thiruvananthapuram(UA).
13.	Madhya Pradesh	—	Gwalior(UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA)
14.	Maharashtra	Greater Mumbai(UA).	Amravati, Nagpur (UA), Aurangabad(UA), Nashik (UA), Bhiwandi(UA), Pune (UA), Solapur, Kolhapur(UA).
15.	Orissa	—	Cuttack(UA), Bhubaneshwar(UA).
16.	Punjab	—	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana
17.	Pondicherry	—	Pondicherry(UA).
18.	Rajasthan	—	Bikaner, Jaipur, Jodhpur (UA), Kota (UA).
19.	Tamil Nadu	Chennai (UA)	Salem(UA), Tiruppur(UA), Coimbatore (UA) Tiruchirappalli(UA), Madurai (UA)
20.	Uttarakhand	—	Dehradun(UA).
21.	Uttar Pradesh	—	Moradabad, Meerut (UA), Ghaziabad*, Aligarh, Bareilly(UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur, Varanasi (UA).
22.	West Bengal	Kolkata (UA)	Asansol (UA)

* *Only for the purpose of extending HRA on the basis of dependency.*

NOTE

The remaining cities/towns in various States/UTs which are not covered by classification as "X" or "Y" are classified as "Z" for the purpose of HRA.

————X————